योजना लागु होने की तिथि 01 अप्रैल 2023

लिंक https://berojgaribhatta.cg.nic.in/

- छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्व रोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल को हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्युनतम दो वर्ष पुराना हो
- आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत ना हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोत से वार्षिक आय रूपये 2,50,000/-से अधिक ना हो,परिवार से तात्पर्य है पति,पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता

- आय प्रमाण पत्र (01 वर्ष के अन्दर का जारी हुआ)
- नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटो
- जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र
- आधार कार्ड (उन्ही आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है)

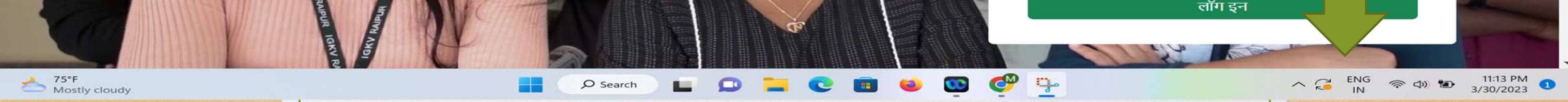

नया खाता बनाये से अपने मोबाइल नंबर के द्वारा पंजीयन करें

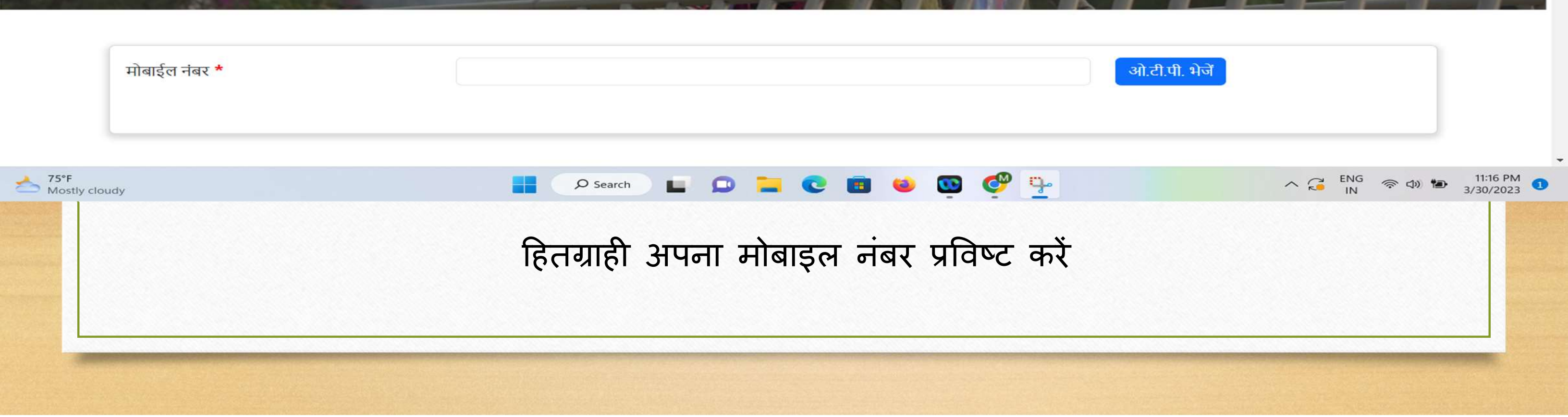
मोबाईल नंबर *
ओ.टी.पी. भेजें
75°F
Mostly cloudy
Search
ENG
IN
11:16 PM
3/30/2023
हितग्राही अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें

सेव करें

Search

ENG
IN

6:49 AM
3/31/2023

OTP प्रविष्ट करने के बाद पासवर्ड बनाये

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना में आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है | आवेदन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड प्रविष्ट करके लॉग इन करें!

Search

ENG IN

6:50 AM 3/31/2023

पोर्टल में हितग्राही का पंजीयन सफलता पूर्वक हो चूका है,आवेदन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड प्रविष्ट करके लॉग इन करें

Search
ENG
IN
6:52 AM
3/31/2023

हितग्राही आवेदन करने के पूर्व पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनाये,इस हेतु हितग्राही को आधार कार्ड के आधार पर अपना नाम अंग्रेजी में लिखे एवं आधार नंबर प्रविष्ट करें |

राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अपना आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी अपलोड करे

68°F
Heavy t-storms
Search
ENG
IN
6:55 AM
3/31/2023

हितग्राही का प्रोफाइल सफलता पूर्वक सेव हो चूका है

प्रोफाइल सफलता पूर्वक क्रिएट होने के बाद “आवेदन करें” टैब में क्लीक करके हितग्राही अपना आवेदन कर सकता है

हितग्राही आवेदन फॉर्म में अपना पता एवं बैंक सबंधी जानकारी प्रविष्ट करेंगे

हितग्राही बेरोगारी भत्ता हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट अपलोड करेंगे

1. मुझे वर्तमान में किसी भी प्रकार का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त नहीं है।
2. मुझे ज्ञात है कि एक परिवार से एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी, यदि मेरे परिवार से एक से अधिक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत होता है तो मेरे द्वारा इसकी सूचना संबंधित जनपद/नगरीय निकाय को दिया जायेगा।

हितग्राही को आवेदन करते समय “कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्से सबंधी जानकारी(अधिकत्तम 03 सेक्टर)” का चयन करना अनिवार्य होगा

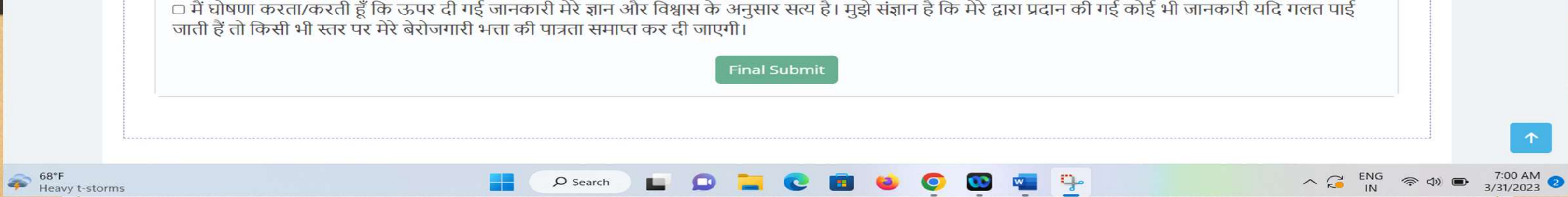

आवेदन के अन्तिम चरण में हितग्राही “आवेदक के द्वारा घोषणा” में क्लीक करके अपना आवेदन जमा कर सकते है